उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-276/2025/**76**के-2/22-3-25-17(**79**)/2025

लखनऊ : दिनांक: 15 जुलाई, 202**5**

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवम्बर, 2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिव शंकर वर्मा (बन्दी संख्या-**26314**) पुत्र श्री पुत्ती लाल, निवासी माधव नगर, थाना-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण सं0-101/1995 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 28.09.2001 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक **16**.11.202**4** तक 16 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

6- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।